विधान परिषद के प्रथम सत्र-2022 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री सुरेश कुमार कश्यप, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 <u>का उत्तर।</u>

<u>प्रश्न</u>	**<u>उत्तर</u>**
4- (क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन विभाग, आजमगढ़ डिपों के पत्रांक 900/आजम/ स0क्षे0प्र0/स्था0/ 2021, दिनांक 16 जुलाई, 2021 के द्वारा किन-किन व्यक्तियों को, मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ?	कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन विभाग आजमगढ़ डिपो के पत्रांक 900/आजम/ स0क्षे0प्र0/स्था0/ 2021, दिनांक 16 जुलाई, 2021 के द्वारा स्व0 शीला सिंह, वरिष्ठ लिपिक, आजमगढ़ डिपो के पुत्र श्री धनन्जय को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।
(ख) क्या उक्त व्यक्तियों को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने हेतु श्री हीरा लाल यादव, तत्कालीन सभापति, संसदीय अध्ययन समिति विधान परिषद् का पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 2021 जोकि मुख्यमंत्री जी को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ?	जी हाँ। इस पत्र में भी उक्त श्री धनन्जय सिंह को ही मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने का अनुरोध किय गया है।
(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त पत्रों में इंगित व्यक्तियों को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करा दी गयी है ?	जी नहीं।
(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?	शासनादेशसंख्या-05वी0आई0पी0/44-2-2003-2(च0स0)/ 88, दिनांक 11-07-2003 द्वारा प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जो लाभप्रद की स्थिति में नहीं हैं अर्थात जिनमें संचित हानि है अथवा जिनमें सरप्लस कर्मचारी हैं, उन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उनके सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिए जाने की सुविधा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश की व्यवस्थाओं में शिथिलीकरण कराकर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करते हुए पूर्व में नियुक्तियां की गई हैं। वर्तमान में शासनादेश में शिथिलीकरण की कार्यवाही निगम की अद्यावधिक आर्थिक स्थिति के सापेक्ष ही सम्भव हो सकेगी। फिलहाल यह कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(ड.) नियुक्ति प्रदान न किये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?	प्रश्न नहीं उठता।
(च) कब तक संबंधित व्यक्तियों को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करा दी जायेगी ?	उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

दयाशंकर सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग।